



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19052021-227086
CG-DL-E-19052021-227086

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1805]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 19, 2021/वैशाख 29, 1943

No. 1805]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 19, 2021/VAISAKHA 29, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मई, 2021

का.आ. 1932(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 119 नजीबाबाद बाईपास के किमी. 105.423 से किमी. 118.373 (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 74 बाईपास के 2.45 किमी छोड़कर) चार लेन चौड़ीकरण भूखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन कि तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 119 नजीबाबाद बाईपास के किमी. 105.423 से किमी. 118.373 (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 74 बाईपास के 2.45 किमी. छोड़कर) चार लेन चौड़ीकरण का निर्माण कार्य तक की भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	स्पेशल लैंड एक्जीजीशन अफसर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या Newly	उत्तर प्रदेश	बिजनौर	नजीबाबाद	1 नारायणपुर इच्छा ए.

राजेश गुप्ता, निदेशक